

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dmis/jsm/osmf/kharif/2080/6820

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009924

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
रामगढ़ न.1	3726	Other Than SMF	50%-75%	61859229
फालसूंड	387	Other Than SMF	50%-75%	6551885
पोकरण	6611	Other Than SMF	50%-75%	111034481
फतेहगढ़	6783	Other Than SMF	50%-75%	112509441
जैसलमेर उपनिवेशन	2536	Other Than SMF	50%-75%	42829301
रामगढ़ न. 2	2663	Other Than SMF	50%-75%	43784059
भनियाना	895	Other Than SMF	50%-75%	15215000
रामगढ़	172	Other Than SMF	50%-75%	2924000
योग	23773			396707396

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारत होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Pradeep Singh
Date: 2025.08.06 20:51:44 IST
Reason: Self Attested

